# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 118/2021

1. फूले खां पुत्र बस्ती जाति धोबी मुसलमान निवासी भनाई त0 भादरा।

:– वादी

**ब ना म**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सतीवर बेनिवाल: वादी
राजपैरोकार : प्रतिवादी

निर्णय                दिनांक : 30-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 240/210 के खसरा सं0 149/1 की 1.3530है0 खसरा सं0 523/1 की 1.9980है0 खसरा सं0 553/2 की 4.3250है0 खसरा सं0 653/2 की 2.1750है0 कुल 9.8510है0 बारानी खातेदारी फूल मोहम्मद खां पुत्र बस्ती खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त वाद भूमि वादी को उसके पिता बस्ती से विरासतन प्राप्त हुई। विरासतन नामान्तरण दर्ज करते समय वादी का नाम फूल मोहम्मद वल्द बस्ती दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम फूले खां वल्द बस्ती खां है। वादी के सभी दस्तावेजों में सही नाम फूले खां पुत्र बस्ती खां है। अतः उक्त वादी भूमि में वादी को अपना नाम फूल मोहम्मद वल्द बस्ती के स्थान पर फूले खां पुत्र बस्ती खां करवाने का कानूनी अधिकार है। यही विनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादी सं 1 द्वारा दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 2 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया। पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 फूले खां पुत्र बस्ती खां के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमांबदी रोही भनाई संवत 2074–77 प्रदर्श 1 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 2 आधार कार्ड असल प्रदर्श 3 व चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 3ए पहचान पत्र असल प्रदर्श 4 व चित्रप्रति पहचान पत्र प्रदर्श 4ए राशनकार्ड असल प्रदर्श 5 व चित्रप्रति राशन[illegible] प्रदर्श 6 व चित्रप्रति पैन कार्ड प्रदर्श 6ए व पटवार हल्का रिपॉर्ट प्रदर्शित [illegible]ाये [illegible]।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:45 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील वादी [illegible] वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त वाद [illegible] वादी को उसके पि[illegible] से विरासतन प्राप्त हुई। विरासतन नामान्तरण दर्ज क[illegible] समय वादी का नाम [illegible] से फूल मोहम्मद वल्द बस्ती दर्ज हो गया जबकि वादी का सही नाम फूले खां वल्द बस्ती खां है। वादी के सभी दस्तावेजों में सही नाम फूले खां पुत्र बस्ती खां है। तथा पटवार



Scanned with CamScanner

हल्का रिपॉर्ट भनाई में भी वादी का सही नाम फूले खां ही होना बताया गया है। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष व वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद में वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमांबदी रोही भनाई संवत 2074–77 प्रदर्श 1 प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत भनाई प्रदर्श 2 आधार कार्ड असल प्रदर्श 3 व चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 3ए पहचान पत्र असल प्रदर्श 4 व चित्रप्रति पहचान पत्र प्रदर्श 4ए राशनकार्ड असल प्रदर्श 5 व चित्रप्रति राशनकार्ड प्रदर्श 5ए पैनकार्ड असल प्रदर्श 6 व चित्रप्रति पैन कार्ड प्रदर्श 6ए प्रदर्शित करवाये। जिसमें वादी का सही नाम फूले खां पुत्र बस्ती खां होना दर्ज है। पटवार हल्का रिपॉर्ट भनाई में वादी का नाम फूल मोहम्मद वल्द बस्ती के स्थान पर वादी का सही नाम फूले खां पुत्र बस्ती खां दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष व साबित होने पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

## क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 240/210 के खसरा सं0 149/1 की 1.3530है0 खसरा सं0 523/1 की 1.9980है0 खसरा सं0 553/2 की 4.3250है0 खसरा सं0 653/2 की 2.1750है0 कुल 9.8510है0 बारानी खातेदारी फूल मोहम्मद खां पुत्र बस्ती खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी का नाम फूल मोहम्द पुत्र बस्ती खां के स्थान पर फूले खां पुत्र बस्ती खां की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच फूल मोहम्मद के नाम से विचाराधिन हो या किसी सरकारी संस्था में फूल मोहम्मद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए फूल मोहम्मद नाम ही प्रभावी माना जावेंगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो उसके लिए वादी स्वंय जिम्मेदार होगा। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 30.03.21..... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:45 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 118/2021

1. फूले खां पुत्र बस्ती खां जाति धोबी मुसलमान निवासी भनाई त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार त0 भादरा।
2. एसबीआई शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक त0 भादरा।

:– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सतबीर बेनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा भनाई के खाता सं0 240/210 के खसरा सं0 149/1 की 1.3530है0 खसरा सं0 523/1 की 1.9980है0 खसरा सं0 553/2 की 4.3250है0 खसरा सं0 653/2 की 2.1750है0 कुल 9.8510है0 बारानी खातेदारी फूल मोहम्मद खां पुत्र बस्ती खां के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में वादी का नाम फूल मोहम्म्द पुत्र बस्ती खां के स्थान पर फूले खां पुत्र बस्ती खां की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच फूल मोहम्मद के नाम से विचाराधिन हो या किसी सरकारी संस्था में फूल मोहम्मद के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए फूल मोहम्मद नाम ही प्रभावी माना जावेंगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो उसके लिए वादी स्वंय जिम्मेदार होगा। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30-03-21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:20:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner